



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26042022-235353
CG-DL-E-26042022-235353

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1832]
No. 1832]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 25, 2022/वैशाख 5, 1944
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 25, 2022/ VAISAKHA 5, 1944

रेल मंत्रालय

(दक्षिणपूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर)

(रेल अधिनियम 1989 की धारा 20क के अंतर्गत अधिसूचना)

बिलासपुर, 25 अप्रैल, 2022

का.आ. 1925(अ).—रेल अधिनियम 1989 की धारा 20 क की उपधारा (1) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए संतुष्ट होने के बाद ऐसी भूमि का, जिसका संक्षिप्त वर्णन संलग्न अनुसूची में दिया गया है, जो कि विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, खरसिया से धरमजयगढ़, घरघोड़ा से डोंगा महुआ की लाइन सहित (104 किमी) के छत्तीसगढ़ राज्य में निष्पादन के लिए आवश्यक है, एतद्वारा अधिग्रहण करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तरीख से तीस दिन के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन, पूर्वोक्त प्रयोजन के लिये ऐसी भूमि के अर्जन एवम उपयोग के सम्बन्ध पर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, यानि अतिरिक्त कलेक्टर, रायगढ़ को ज़िलाधीश कार्यालय, रायगढ़, छत्तीसगढ़ को लिखित में किया जाएगा और उसके आधार उपवर्णित किए जायेंगे तथा सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को वैयक्तिक रूप से या विधिव्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो तो, करने के पश्चात, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा; इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक एवं अन्य व्योरे उपलब्ध हैं और हितवद्ध व्यक्ति द्वारा उनका निरीक्षण सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य में नई लाइन- विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, खरसिया से धरमजयगढ़, घरघोड़ा से डोंगा महुआ की लाइन सहित (104 कि.मी.) के लिए अधिग्रहण किये जाने के लिये संरचना के सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

अ. घरघोड़ा से डोंगामहुआ(स्पर लाइन) 0 – 28 कि.मी. (पूरक-IV)

ग्राम: चितवाही, तहसील: तमनार, जिला: रायगढ़

जिला का नाम: रायगढ़			
तालुका: तमनार			
क्रमांक	गांव का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
-1	-2	-3	-4
1	चितवाही	197 / 2 / क	0.020
		197 / 2 / ख / 1	0.055
		197 / 2 / ख / 2	0.032
		197 / 2 / ख / 3	0.020
		197 / 3	0.076
		198 / 1	0.368
		199 / 1	0.101
		199 / 3	0.101
		199 / 4	0.101
		200 / 1	0.176
		206 / 1	0.398
		208 / 5	0.017
		206 / 6	0.011
		208 / 9	0.017
		208 / 10	0.017
		208 / 11	0.017
		209 / 1	0.362
		210 / 1	0.076
		211 / 2	0.108
		212 / 1	0.028
		213 / 4	0.020
		212 / 5	0.124
		213 / 5	0.208
		248 / 3 / ख	0.009
		248 / 4 / ग	0.138

		248 / 10 / 1	0.038
		248 / 10 / 2	0.101
		248 / 10 / 3	0.102
योग			2.841

ग्राम: कोलम, तहसील: तमनार, जिला: रायगढ़

जिला का नाम: रायगढ़			
तालुका: तमनार			
क्रमांक	गांव का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
-1	-2	-3	-4
2	कोलम	87/6	0.044
		94/1	0.182
योग			0.226

महायोग:- 3.067 हेक्टेयर

[फा. सं. सी.ए.ओ./सि/बी.एस.पी./ईस्ट रेल कॉरिडोर]

आर.एन.सुनकर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(S.E.C. Railway, Bilaspur)

(Notice under Section 20A of the Railways Act 1989)

Bilaspur, the 25th April, 2022

S.O. 1925(E).—In exercise of powers conferred by sub section (1) of section 20A of the Railways Act 1989(24 of 89)(hereinafter referred as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, brief description of which is given in the schedule annexed hereto, is required for the execution of Special Railway Project, namely, Kharsia to Dharamjaygarh with spur from Gharghoda to Donga Mahua (104 KM), in the State of Chhattisgarh, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within a period of 30 days from the date of publication of this notification in the Official gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section 20D of the said Act;

Every objection shall be made to the Competent Authority, namely, Additional Collector, Raigarh, Collectorate Office, Raigarh, Chhattisgarh in writing, and shall set out grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final. The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely, Kharsia to Dharamjaygarh with spur from Gharghoda to Dongamahua(104 K.M) in the State of Chhattisgarh.

A. Gharghoda to Dongamahua(Spurline) 0–28 Km. (Supplementary-IV)

Village: Chitwahi, Tehsil: Tamnar, Distt.-Raigarh

Name of District: Raigarh			
Taluka: Tamnar			
Sl. No.	Village Name	Khasra/Plot Number	Area (in Hect.)
-1	-2	-3	-4
1	Chitwahi	197 / 2 / क	0.02
		197 / 2 / ख / 1	0.055
		197 / 2 / ख / 2	0.032
		197 / 2 / ख / 3	0.02
		197 / 3	0.076
		198 / 1	0.368
		199 / 1	0.101
		199 / 3	0.101
		199 / 4	0.101
		200 / 1	0.176
		206 / 1	0.398
		208 / 5	0.017
		206 / 6	0.011
		208 / 9	0.017
		208 / 10	0.017
		208 / 11	0.017
		209 / 1	0.362
		210 / 1	0.076
		211 / 2	0.108
		212 / 1	0.028
		213 / 4	0.02
		212 / 5	0.124
		213 / 5	0.208
		248 / 3 / ख	0.009
		248 / 4 / ग	0.138
		248 / 10 / 1	0.038
		248 / 10 / 2	0.101
		248 / 10 / 3	0.102
Total			2.841

Village: Kolam, Tehsil: Tamnar, Distt.-Raigarh

Name of District: Raigarh			
Taluka: Tamnar			
Sl. No.	Village Name	Khasra/Plot Number	Area (in Hect.)
-1	-2	-3	-4
2	Kolam	87/6	0.044
		94/1	0.182
Total			0.226

GrandTotal:- 3.067Hect.

[F. No. CAO/C/BSP/East Rail Corridor]

R.N.SUNKAR, Chief Administrative Officer (Con.)